FORM NO. III

AAP-A
Crim-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

दावत महामन्त्री (SDM) बनाम
मुकाम पांची

बनाम लोकनाथ वगैरह

मुकदमा अन्तर्गत R 4 CPC

नं. 216/2019 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.19	लोकनाथ का पत्र अन्तर्गत आदेश 9 R 4 CPC वादी प्रार्थी द्वारा पेश किया जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर वादी प्रार्थी की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। वादी प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि दिनांक 3/11/19 को प्रार्थी के अधिवक्ता का बुखार आ जाने के कारण अदालत हाजा में उपस्थित नहीं होने से प्रार्थी का वाद अवैध परवी अदम पैरवी में खारिज हो गया। आकस्मिक में वाद में प्रार्थी का परवी होने समुचित अवसर दिये जाने हेतु वाद सं. 363/2013 अनवाद पांची बनाम लोकनाथ वगैरह को पुनर्जीवित कर नम्बर पर लिये जाने के आदेश फरमाये जावें। वादी प्रार्थी की बहस पर मनन चिन्तन किया गया। आदेशिका दिनांक 3/11/19 का अवलोकन किया गया। बाद मनन चिन्तन एवं अवलोकन से पाया गया कि प्रार्थी का वाद दिनांक 3/11/19 को अदम पैरवी अदम हाजिरी में खारिज हो गया है। बाद हित के प्रार्थी को वाद में समुचित परवी किये जाने का अवसर दिया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थी का वाद सं. 363/2013 अनवाद पांची बनाम लोकनाथ वगैरह पुनर्जीवित कर नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते हैं। मिसल पुकार मुताबिक नम्बर हो कर वादी को साथ रखी जावे।	

(महावीर सिंह)
A.D.S.

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahaveer Singh
Date: 2019.12.30 22:42:23 IST
Reason: SelfAttested